SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

पर्यावरण संरक्षण में स्त्री की भूमिका

पूनम, (Ph. D.), समाजशास्त्र विभाग,
एस. एस. (पी.जी.) कॉलेज, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
पूनम, (Ph. D.), समाजशास्त्र विभाग,
एस. एस. कॉलेज, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 24/07/2021
Revised on : -----
Accepted on : 31/07/2021
Plagiarism : 04% on 24/07/2021

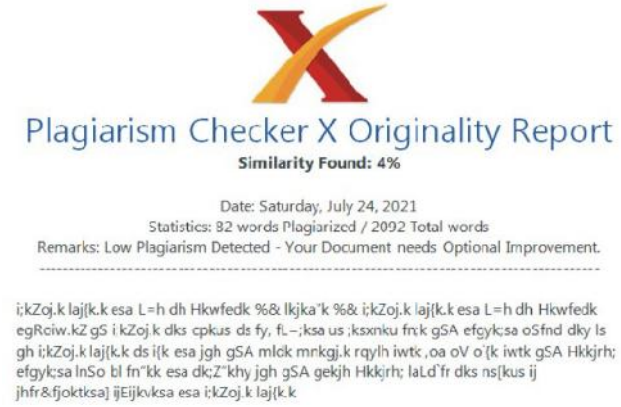

शोध सार

पर्यावरण संरक्षण में स्त्री की भूमिका महत्वपूर्ण है पर्यावरण को बचाने के लिए स्त्रियों ने योगदान दिया है। महिलायें वैदिक काल से ही पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में रही है। उसका उदाहरण तुलसी पूजा एवं वट वृक्ष पूजा है। भारतीय महिलायें सदैव इस दिशा में कार्यशील रही है। हमारी भारतीय संस्कृति को देखने पर रीति–रिवाजों, परम्पराओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुकता दिखाई देती रही है। भारतीय महिलायें सदैव से ही पर्यावरण संरक्षण में पुरुषों से आगे रही हैं इसका पता हमें विभिन्न पर्यावरण संरक्षण के आन्दोलनों का अध्ययन करने पर चलता है। महिलाओं ने पर्यावरण व वनों की रक्षा के लिये कई आन्दलनों में भाग लिया इनमें अग्रणी भमिका निभायी है और अपने प्राणों की आहूति तक दी है। कार्ल मार्क्स का कथन है कि ''सृष्टि में कोई भी बड़े से बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता''। अतः महिलाओं ने सदैव ही पर्यावरण संरक्षण की बात की है।

मुख्य शब्द

पर्यावरण संरक्षण आन्दोलन, महिलायें, प्राकृतिक वातावरण.

प्रस्तावना

पर्यावरण संरक्षण को बचाये रखना मानव समाज का उत्तरदायित्व है। पर्यावरण परि+आवरण से मिलकर बना है जिसका तात्पर्य है हमारे चारों ओर का वातारण जो कुछ भी हमारे चारों ओर दिखाई देता है वह पर्यावरण है। इसमें पशु–पक्षी, पहाड़, पेड़–पौधे और प्राकृतिक वातावरण में सम्मिलित है। पर्यावरण की देखभाल करना, पर्यावरण की सुरक्षा के लिये कार्य करना, पर्यावरण संरक्षण में आता है। पर्यावरण संरक्षण अर्थात् प्रकृति की सुरक्षा पेड़–पौधों, नदी, तालाबों की सुरक्षा, प्राकृतिक

वातावरण की सुरक्षा। पर्यावरणीय शिक्षा को कार्यरूप देने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित 1972 स्टॉकहोम संगोष्ठी जिसका विषय था 'मानव और पर्यावरण' इससे प्रेरित होकर यूनेस्को (UNESCO) ने यू.एन.ई.पी (UNEP-United Nations Environment Programme) के सहयोग से 1975 में एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम (IEEP) प्रारम्भ किया।

भारत में भी केन्द्र सरकार ने पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय कार्यक्रम की स्थापना की जो बाद में पर्यावरण मंत्रालय के रूप में विकसित हुआ। 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से नीति निदेशक सिद्धान्तों में एक नया अनुच्छेद 48(क) जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य का कर्तव्य होगा कि पर्यावरण को बनाए रखे, उसे सुधारे और देश के वनों एवं वन्य जीवन की रक्षा करें।

भारत में स्त्रियाँ पर्यावरण संरक्षण में विशेष योगदान देती रही है। वृक्षों की पूजा करती हैं, भारतीय परम्परा में नदी, तालाबों, कुओं, वट वृक्ष, शमी, नीम, बेल, गाय, साँप, बंदर आदि की भी पूजा अर्चना की जाती रही है और इन सब को संरक्षित करने के प्रयास होते रहे हैं। प्राकृतिक वातावरण, पेड़–पौधे, पशु–पक्षी एवं नदी, तालाबों, कुँओं की परम्परागत आधार पर पूजा होती रही है। यह भारतीय परम्पराओं का मुख्य आधार है।

अध्ययन का उद्देश्य

पर्यावरण सरंक्षण में महिलाओं के योगदान का उद्देश्य निम्नलिखित हैः

1. नदी, तालाबों, कुओं को स्वच्छ रखना।
2. प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखना।
3. पेड़–पौधों को संरक्षित रखना।
4. वातावरण को गंदगी व बीमारियों से पेड़–पौधों के द्वारा संरक्षित रखना।
5. वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना।

अध्ययन पद्धति

पर्यावरण में स्त्री की भूमिका नाम के विषय पर किये जाने वाले अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक आकड़ों का प्रयोग किया जायेगा।

प्राथमिक क्षेत्र

1. गाँव तथा शहरों में लोगों को व्यक्तिगत रूप से जागरुक करना।
2. साफ पर्यावरण से होने वाले लाभों के बारे मे जनता को बताना।
3. अनेक संगठनों के प्रतिनिधयों से इसको बचाने के लिये बातचीत करना।

द्वितीयक क्षेत्र

1. वन विभाग से पंजीकृत वृक्षो की संख्या लेकर उनके रख–रखाव की जानकारी प्राप्त करना।
2. सिचांई विभाग से नहरों की संख्या तथा उनको बचाने हेतु प्रयासो का अध्ययन करना।
3. फैक्ट्रियों के द्वारा उत्सर्जित जल को नाले में गिरने का प्रावधान तथा आँकड़े एकत्र करना।
4. ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों से खुले में शौच जाने वाले व्यक्तियों की जानकारी लेकर उन्हें सरकार के द्वारा शौचालय की व्यवस्था कराना।

पर्यावरण संरक्षण में स्त्रियों की भूमिका

पारिस्थतिकीय सन्तुलन को बनाये रखने के लिए स्त्रियाँ सदैव अग्रणी स्थान पर रही हैं। यह पर्यावरण संरक्षण की कड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी बनी है। कोफी अन्नान ने भी माना कि इस ग्रह का भविष्य महिलाओं पर निर्भर है। पर्यावरण को हानि पहुँचाने वालों का ही भारतीय महिलाओं ने विरोध किया है और आज भी यह देखने को मिलता है।

खेजड़ली आन्दोलन

खेजड़ली गाँव जो जोधपुर में स्थित है वहाँ यह आन्दोलन हुआ। यह आन्दोलन सन् 1730 में चलाया गया। सन् 1730 में मारवाड़ के एक शासक जिनका नाम अभय सिंह के पुत्र अजीत द्वारा किले के निर्माण में आवश्यक लकड़ी के लिये अपने सैनिकों को भेजा गया। सैनिक जब कुल्हाड़ी लेकर खेजड़ली गाँव पहुँचे तो यहाँ खेजड़ी के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में लगे हुये थे, इन सैनिको का विरोध वहाँ रहने वाली एक महिला अमृता देवी ने किया तथा सैनिकों को वापस जाने के लिये कहा लेकिन सैनिको ने पेड़ो की कटाई शुरू कर दी तब अमृता देवी ने पेड़ों से चिपक कर उन्हे वापस जाने को कहा, लेकिन सैनिक नही माने यह देखकर अमृता देवी की तीन पुत्रियाँ भी वहाँ आ गयी और पर्यावरण संरक्षण के लिये वह भी अपनी माँ का साथ देने लगी और पेड़ों से चिपक गयी। लेकिन राजा के सैनिकों ने उनकी बात नहीं मानी और पेड़ों के साथ–साथ उनके सिर भी काट दिये। इस प्रकार उन्होंने पर्यावरण के लिये अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस बात का पता जब वहाँ के लोगों को लगा तो अमृता देवी के बलिदान से प्रेरित होकर 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन्हें विश्नोई समाज के सदस्य कहा जाता है। जिन्होंने अमृता देवी को आदर्श माना। विश्नोई समाज एक ऐसा समाज है जो जंभोजी द्वारा स्थापित किया गया तथा विश्नोई समाज उन्हें अपना गुरू मानता है। जंभोजी ने पर्यावरण सुरक्षा के लिये 29 (20+9) नियम बताये थे जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिये अति आवश्यक नियम थे। विश्नोई समाज आज भी इन नियमों का पालन करता है तथा इन नियमों के पालन करने की शपथ लेता है।

इस प्रकार विश्नोई जाति की महिलायें प्राचीन काल में ही नही आज भी सुरक्षा का कार्य करती है तथा समाज एवं देश की महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा देती हैं।

चिपको आन्दोलन

वृक्षों को बचाने के लिए तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली से 1973 में आन्दोलन शुरू हुआ इस संघर्ष के प्रमुख नेता सुन्दर लाल बहुगुणा थे, परन्तु यह आन्दोलन महिलाओं के द्वारा ही आगे बढ़ाया गया। गौरी देवी ने 26 मार्च 1974 में यह अभियान छेड़ा, उनके गाँव से सटे जंगल में कुछ लोग लकड़ी काटने आये तब गौरी देवी एवं अन्य महिलायें पेड़ो के तनो से चिपक गयी और बोली ''जंगल हमारी माँ है, पहले हमें काटो'' फिर पेड़ों तथा जंगल को, अपना मायका बताकर पेड़ों की रक्षा महिलाओं ने की। इस प्रकार जंगल में आये ढेकेदार के लोग जंगल छोड़कर चले गये। 'दशोली ग्राम स्वराज्य संघ' जो एक गाँधीवादी संस्था थी के चंदी प्रसाद भट्ट ने महिला शक्ति के साथ मिलकर अपना योगदान दिया। इस घटना के बाद तय हुआ कि उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ो की कटाई को प्रतिबन्धित किया जाना आवश्यक है।

पर्यावरण संरक्षण के लिये पहाड़ी महिलाओं ने नींव डाली अपने जंगल एवं जमीन की रक्षा की कौसानी स्थित लक्ष्मी आश्रम की महिलाओं ने खीराकोट व अन्य गाँवों के वासियो को लेकर खीराकोट की पत्थर की खान को बंद करवाया और श्रमदान के द्वारा ऊबड़–खाबड़ जमीन को भरवाया।

इन आन्दोलनों से प्रेरणा लेकर देशभर में इस प्रकार के आन्दोलन चलाये जाने लगे। कर्नाटक का 'आपिक्को' आन्दोलन चलाया गया। कर्नाटक के पश्चिमी घाट मे 'आपिक्को' आन्दोलन शुरू हुआ, वनों की कटाई के विरोध में यह आन्दोलन चलाया गया। कन्नड़ भाषा में आपिक्को का अर्थ चिपको होता है, इस आन्दोलन की शुरूआत 1983 में हुई इस आन्दोलन का नेता पांडुरंग हेगड़े नामक युवक था। यह आन्दोलन पूरी तरह अहिंसक आन्दोलन था। इसमें वन विभाग की तरफ से कट रहे पेड़ों को बचाने के लिये आन्दोलन किया गया। पेड़ो से चिपक कर पेड़ो को कटने से बचाया गया। यह आन्दोलन गाँधीवादी विचारधारा से प्रेरित था। उस आन्दोलन में भी महिलाओं ने पेड़ो को बचाने के लिये सब के साथ पदयात्रा की और पेड़ों को कटने से बचाया गया, धीरे–धीरे 'आपिक्को' आन्दोलन दक्षिण में फैल गया।

नवधान्या आन्दोलन

यह आन्दोलन पूर्णतः स्त्रियों पर आधारित है। यह नवधान्या का अर्थ है ''नौ अनाज'' इस आन्दोलन की प्रेणता

या संस्थापक हैं वंदना शिवा। ये आन्दोलन वंदना शिवा के नेतृत्व में 1987 से चल रहा है। इन्होंने बीजों और फसलों को बचाने का कार्य शुरू किया, यह स्थानीय किसानों का साथ देता है। विलुप्त हो रही फसलो को उत्पादित करने के लिये कार्यरत है, इस आन्दोलन में लोगों को जैविक खेती के लिये बढ़ावा दिया जाता है। किसानों को बीज बाँटे जाते है और रसायनिक खादों व कीटनाशकों से हो रहे हानिकारक प्रभावों से अवगत करने को प्रोत्साहित किया जाता है। वंदना शिवा जैविक चोरी के खिलाफ भी कार्य कर रही है नीम, बासमती, गेहूँ आदि के जैविक चोरी को रोकने का उनका प्रयास रहा है तथा वे उन चोरियों के खिलाफ भी लड़ रही है। जो जानकारियाँ हम सदियों से समझते है परन्तु आज दूसरे देश उन्हे अपना अविष्कार बताने लगते है। वह जैविक खेती पर अधिक ध्यान देती है तथा उसका सहयोंग करती है। इस आन्दोलन का कार्य जैविक खेती के लिये प्रोत्साहित करना तथा जैव विविधता को सुरक्षा प्रदान करना है। वंदना का मानना है कि प्रकृति को हमें उसके मूल रूप में ही स्वीकार करना चाहियें। यदि हम उसके साथ छेड़–छाड़ करते है तो परिणाम घातक होते है।

नर्मदा बचाओ आन्दोलन

नर्मदा बचाव आन्दोलन एवं पर्यावरण संरक्षण दोनों क्षेत्रों में मेधा पाटेकर का नाम उल्लेखनीय है। समाज सेविका मेधा पाटेकर ने शहर की चकाचौंध से दूर नर्मदा घाटी के दूर–दराज गाँवो में अपना जीवन बना लिया। नर्मदा घाटी संरक्षण में इस आन्दोलन में महिलायें भी सम्मिलित है।

नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बाँध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पं0 जवाहर लाल नेहरू ने किया था लेकिन तीन राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के मध्य जल वितरण पर कोई नीति तय नही हो पायी थी। 1969 में नर्मदा जल विवाद पर न्यायधिकरण का गठन किया गया। 1979 में यह सर्वसम्मति पर पहुँचा तथा नर्मदा घाटी ने एक गंभीर विवाद को जन्म दिया क्योंकि इससे लाभ के साथ–साथ हानि भी हो रही थी। लगभग 248 गाँव के एक लाख से अधिक लोग विस्थापित होंगे जिसमें 58 प्रतिशत आदिवासी क्षेत्र के हैं। अतः उनके पुर्नवास के लिये स्थानीय कार्यकर्ताओं ने पहल की।

1988–89 में आन्दोलन को बढ़ाने के लिये स्वंयसेवी संगठनों ने नर्मदा बचाव आन्दोलन गठित किया। 1987 में पुर्नवास नीति घोषित की गयी। 1989 में मेधा पाटेकर द्वारा यह नर्मदा बचाव आन्दोलन शुरू किया गया तथा पुर्नवास की नीतियों के क्रियान्वयन की कमियों को उठाया। इस आन्दोलन का उद्देश्य बाँध को रोककर पर्यावरण विनाश तथा विस्थापन को रोकना था। इस आन्दोलन में समाज सेवियों, पर्यावरणविदों, छात्रों, महिलाओं, आदिवासियों, किसानो तथा मानव अधिकार कार्यकर्ताओं आदि ने भाग लिया। इन आन्दोलन के मुख्य कर्ताधर्ता मेधा पाटेकर के अतिरिक्त फिल्मी कलाकार, पत्र समाचार माध्यम, अनिल पटेल, बाबा आम्टे, अरुंधती राय आदि शामिल हो गये। पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को देखते हुये राष्ट्रीय वन नीति 1988 में उनको विशेष स्थान दिया गया।

रक्षा सूत्र आन्दोलन

यह आन्दोलन 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से आरम्भ हुआ यह आन्दोलन उत्तराखण्ड की महिलाओं ने शुरू किया। उन्होंने पेंड़ो को रक्षासूत्र बाँधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। जिन पेड़ों को काटने के लिये चिन्हित किया गया था उसे बचाने हेतु महिलाओं ने पेड़ो को रक्षा सूत्र बाँधकर बचाने का प्रयास किया तथा उन्हे कटने नही दिया। इसी कारण आज तक रयाला के वन के वृक्ष काटने के लिये चिन्हित होने पर भी काटे नही गये और वृक्ष आज भी सुरक्षित है।

इस आन्दोलन का नारा थाः

ऊँचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे।
पेड़ कटेगें पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे।
जंगल बचेगा, देश बचेगा, गाँव–गाँव खुशहाल रहेगा।

निष्कर्ष

प्राचीन काल से ही यह सिद्ध होता रहा है, कि महिलायें किसी भी प्रकार से पुरुषों से कम नही है जहाँ तक पर्यावरण की बात है तो महिलायें पर्यावरण संरक्षण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। वह बचपन से ही पर्यावरण सुरक्षित रखना सीखने लगती है। हमारे भारतीय तीज त्योहारों में पर्यावरण संरक्षण को आधार बनाया गया है जैसे– तुलसी पूजा, नीम की पूजा, वट वृक्ष की पूजा तथा नाग पंचमी पर नाग की पूजा इन सब परम्पराओं के माध्यम से महिलायें पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करती है। आज परिवर्तनशील सामाजिक मूल्यों के चलते पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता दिखाई देती है और विभिन्न पर्यावरण आन्दोलनों के जरिये महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण निभाई है। मुख्यतः पेड़ों को काटने से सम्बन्धित कई आन्दोलनों में महिलाओं ने अग्रणी भूमिका निभाई है तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कार्य किया है। महिलाओं की पर्यावरण के प्रति जागरुकता, पर्यावरण को बचाने का उद्देश्य प्रदान करती है। आज पर्यावरण संरक्षण ने ही पेड़ों, नदियों, पहाड़ों को सुरक्षित रखा है।

संदर्भ सूची

1. महरोत्रा, दीप्ति प्रिया, *''भारतीय महिला आन्दोलन कल आज और कल''*।
2. आर्य साधना, मेनन निवेदिता, जिनीलोकनीता, *''नारी वादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे''*।
3. गुर्जर राजेन्द्र सिंह, मीना महेश चन्द्र, *''पर्यावरण संरक्षण एवं मानवाधिकार, एक समसामयिक विश्लेषण''*।
4. श्रीवास्तव, नीरजा, पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान, *''विज्ञान प्रगति''* जून 2018।
5. शर्मा, राजकुमार, *''पर्यावरण संरक्षण एवं कानून''*।
6. *''कुरूक्षेत्र''* फरवरी 2010।
7. *''कुरूक्षेत्र''* जून 2012।
8. योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय।
9. मासिक पत्रिका, सितम्बर 2007।
10. डेली अपडेट्स, पर्यावरण संरक्षण और महिलायें, 16 मार्च 2020।

****